न्यायालय – सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर, {पीलीभीत}

मूल वाद संख्या 28/2015

डा0 सर्वेश कुमार ––बनाम–– नगर पालिका परिषद आदि।।

दिनांक 17.07.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये। वादी की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र 12क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान विचारण वाद प्रतिवादी द्वारा वादी को एक नोटिस निर्गत किया गया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में संशोधन करनें की अनुमति दी जावे।

प्रतिवादी द्वारा मौखिक आपत्ति में विलम्ब का बिन्दु उठाया गया है।

सुना एवं अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित संशोधन के जरिए न तो वादी अपने अभिवचनों को वापस लें रहा है और न ही संशोधन से वाद की प्रकृति बदल रही है। अतः मुकदमें के अन्तिम निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है। विलम्ब की क्षतिपूर्ति हर्जे से सम्भव है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 12क मु0 100/–रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है वॉछित संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी/अतिरिक्त लिखित कथन यदि प्रतिवादी देना चाहे तो दिनांक 28.08.2018 को पेश हो।

सिविल जज, (जू0डि0),
बीसलपुर, पीलीभीत।
17.07.2018